

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5प/ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय -01-05/2019/73(आ0)/पं0रा0, दिनांक 18.03.2020 के द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए कुल ₹ 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे अधोलिखित पदाधिकारियों को उपावटित किया जाता है।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वेतन (0003.01.01)	जी0 या0 भत्ता (003.01.03)	मकान भत्ता (0003.01.04)	चिकित्सा भत्ता (003.01.06)	परि0 भत्ता (003.01.05)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्र0 वि0 पदा0, सदर, मुंगेर	2500000	300000	80000	40000	100000	3020000
2	प्र0 वि0 पदा0, जमालपुर	30000	10000	10000	5000	0	55000
3	प्र0 वि0 पदा0, बरियारपुर	870000	290000	70000	35000	0	1265000
4	प्र0 वि0 पदा0, तारापुर	2000000	300000	80000	40000	0	2420000
5	प्र0 वि0 पदा0, असरगंज	1600000	300000	80000	40000	0	2020000
6	प्र0 वि0 पदा0, संग्रामपुर	800000	300000	80000	40000	0	1220000
	कुल योग -	7800000	1300000	400000	200000	100000	10000000

कुल ₹ 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र।

- उपावटित राशि की निकासी पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- उपावटित राशि की निकासी करते समय कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संचारण समुचित ढंग से हो सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि (2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं 256 दिनांक 26.02.2019 तथा 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक:-31.07.2019,6786 दिनांक:-19.08.2019 एवं 885 दिनांक:-03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- उपावटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है,तो उसका भुगतान किया जाय। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाय यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है,तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी कराना सुनिश्चित करें।
- उपावटित राशि की निकासी के पश्चात व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- उपावटित राशि की निकासी का मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या- 16-2515000010003 है।
- उपावटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य ये पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक. 398..... /पं0, दिनांक. 19/03/2020

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-5प/ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय -01-05/2019/73(आ0)/पं0रा0, दिनांक 18.03.2020 के के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।